भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 627
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2026

पीएम विकास योजना

627. श्री यूसुफ पठान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच कौशल विकास और उद्यमिता हेतु पीएम विकास (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन) योजना के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्रशिक्षण, रोजगार और ऋण तक पहुंच में किसी कमी की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत रोजगार के परिणामों और स्व-रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एवं (ख): मंत्रालय द्वारा PM VIKAS योजना की प्रगति का आकलन करने, परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए इसके कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), कार्य प्रदाता निकायों तथा अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। PM VIKAS योजना के दिशा-निर्देशों को जनवरी 2025 में अनुमोदित किया गया तथा योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का आवंटन योजना के निम्नलिखित तीन अलग-अलग घटकों अर्थात् क) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण; ख) महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता; तथा ग) शिक्षा के अंतर्गत किया गया है, जिन्हें 59 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। कुल आवंटित लक्ष्य में से राज्य-वार नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित अभ्यर्थी
आंध्र प्रदेश	2,952
असम	14,521
बिहार	1,760
दिल्ली	2,112
हरियाणा	769

जम्मू एवं कश्मीर	7,491
झारखंड	5,593
कर्नाटक	1,409
केरल	607
मध्य प्रदेश	4,161
महाराष्ट्र	5,216
मणिपुर	60
मेघालय	510
नागालैंड	370
पंजाब	8,349
राजस्थान	488
सिक्किम	-
तमिलनाडु	381
तेलंगाना	2,422
त्रिपुरा	984
उत्तर प्रदेश	17,634
उत्तराखंड	2,845
पश्चिम बंगाल	284
कुल	**80,918**

(ग) एवं (घ): PM VIKAS योजना के कार्यान्वयन तथा हितधारकों के साथ संबंधित परामर्शों से कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान हुई है, जिन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इनमें अप्रेंटिसशिप, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT), सत्यापित रोजगार व्यवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उभरती और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के माध्यम से उद्योग संपर्क और रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करना शामिल है।

PM VIKAS के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने और स्वरोजगार के अवसरों में सुधार के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग से संबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उभरते क्षेत्रों में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रोजगार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु हितधारकों के साथ परामर्श भी आयोजित करता है।

योजना में बिजनेस मेंटर्स/उद्यमी मित्रों के माध्यम से कैरियर परामर्श, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, मार्गदर्शन सहायता तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के साथ ऋण-संपर्क की व्यवस्था का भी प्रावधान है, ताकि स्वरोजगार एवं उद्यम विकास के लिए रियायती वित्त तक पहुंच सुगम बनाई जा सके।
